बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या– 09 आई०टी०–08/2015 – 716 सू०/कृ०, पटना, दिनांक ..11../..10../2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय– **National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 6,37,64,000.00 (छः करोड़ सैंतीस लाख चौसठ हजार) रूपये (केन्द्रांश मद (60%) में 3,82,58,000.00 (तीन करोड़ बेरासी लाख अंठावन हजार) रूपये एवं राज्यांश (40%) 2,55,06,000.00 (दो करोड़ पचपन लाख छः हजार)) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं राशि निकासी की स्वीकृति।**

आदेश स्वीकृत।

महाशय,

National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 6,37,64,000.00 (छः करोड़ सैंतीस लाख चौसठ हजार) रूपये (केन्द्रांश मद (60%) में 3,82,58,000.00 (तीन करोड़ बेरासी लाख अंठावन हजार) रूपये एवं राज्यांश (40%) 2,55,06,000.00 (दो करोड़ पचपन लाख छः हजार)) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं राशि निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से कृषि सूचना प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से तथा कृषि की उन्नत तकनीकी जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित करने तथा भारत सरकार द्वारा संचालित एम० किसान पोर्टल, किसान पोर्टल अंतर्गत किसानों को ऑन–लाईन 23 विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

3. वर्ष 2018–19 में राज्य, जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर निम्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे :–

क्र०सं०	अवयव का नाम
1	राज्य स्तर पर परियोजना अनुश्रवण कोषांग हेतु 2 परामर्शी, 1 प्रोग्रामर तथा 1 डेवलपर की व्यवस्था
2	प्रखण्ड स्तर पर डाटा इण्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था
3	मुख्यालय एवं प्रमंडलीय स्तर पर पदाधिकारी एवं प्रसार कर्मियों का प्रशिक्षण
4	सभी प्रखण्डों में इंटरनेट की व्यवस्था

4. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के अधीन National e-Governance Plan for Agriculture (NeGP-A) परियोजना के कार्यान्वयन 534 प्रखण्ड, 38 जिले, 8 प्रमण्डल, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।

5. इस परियोजना में कृषि तथा उद्यान निदेशालय के प्रखण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं उपस्कर उपलब्ध कराया गया है। आठ प्रमण्डलों में कृषि सूचना तंत्र प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर परियोजना अनुश्रवण इकाई की स्थापना की गई है।

6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि तथा निर्धारित शर्त्त की सीमा में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईडलाईन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन किया जाएगा।

8. वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर डाटा इण्ट्री ऑपरेटर हेतु 3,85,80,000 रूपया जिसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यरत कुल 158 डाटा इण्ट्री ऑपरेटर के 8 माह का मानदेय 1,89,60,000 रूपया शामिल है। (अनुसूची–1 पर संलग्न), मुख्यालय एवं प्रमण्डल स्तर पर प्रशिक्षण के लिए 56,16,000 रूपया, मुख्यालय स्तर पर तकनीकी मानवबल तथा विविध हेतु क्रमशः 92,57,160 और 2,840 रूपया (अनुसूची–2 पर संलग्न), जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु 58,74,000 रूपया (अनुसूची–3 पर संलग्न), मुख्यालय, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर कंजूमेबल आयटम के लिए 44,34,000 रूपया (अनुसूची–4 पर संलग्न) इस प्रकार कुल 6,37,64,000 रूपया जिसकी समेकित विवरणी अनुसूची–5 पर संलग्न है।

9. भारत सरकार के संचिका संख्या Z-11018/19/2016-IT FTS 23691, दिनांक 16.04.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए 81,08,300.00 रूपये का पुर्नवैधीकरण किया गया है तथा संचिका संख्या Z-11018/19/2016-IT FTS 23691, दिनांक 26.09.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रथम किस्त 1,50,75,000.00 रूपये की राशि विमुक्त की गई है। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा फिलहाल इस योजना के अंतर्गत 2,31,83,300.00 रूपया उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा पुर्नवैधीकृत राशि के विरूद्ध राज्यांश (40%) 54,05,533.00 रूपया तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में विमुक्त की गई प्रथम किस्त के राशि के विरूद्ध राज्यांश (40%) 1,00,50,000.00 रूपया यानि कुल 1,54,55,533.00 रूपया अर्थात कुल 3,86,38,833.00 रूपये का आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त की जाने वाली राशि के विरूद्ध भविष्य में समानुपातिक राज्यांश की राशि सहित आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

10. कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से राशि की निकासी BTC फार्म 42 में करते हुए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) का PL Account 278 में स्थानन्तरित किया जायेगा।

11. योजनान्तर्गत आच्छादित सामग्रियों का क्रय बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में करते हुए राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।